न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 50/2017

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
मानसिंह पुत्र श्री अभयसिंह जाति राजपूत निवासी कंटालिया तहसील मा0जं0		तहसीलदार मारवाड जंक्शन

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–
श्री गजेन्द्र दवे, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
श्री खीमाराम, सरकारी पैरोकार

–: निर्णय :–

दिनांकः– 18/12/2017

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राज भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत ग्राम कंटालिया के नामान्तरकरण संख्या 1538 पर तहसीलदार मारवाड जंक्शन द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.09.1998 के विरूद्ध प्रस्तुत की। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम कंटालिया तहसील मारवाड जंक्शन में अपीलाण्ट की पुश्तैनी खातेदारी भूमि आई हुई स्थित है। उक्त भूमि के सम्बन्ध में एक सिलिंग प्रकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सोजत के समक्ष चला, जिसके प्रकरण संख्या 28/1973 सरकार बनाम आनन्द कंवर थे। उक्त प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी सोजत द्वारा दिनांक 29.07.1998 को निर्णय पारित कर भूमि सिलिंग में आने के कारण सिवायचक दर्ज करने के आदेश पारित किये। उक्त आदेश की पालना में पटवारी हल्का कंटालिया द्वारा जरिये नामान्तरकरण संख्या 1538 दिनांक 26.08.1998 के उक्त भूमि को राजस्व रेकर्ड में सिवायचक दर्ज किया गया तथा उक्त नामानतरकरण पर तहसीलदार मारवाड जंक्शन द्वारा दिनांक 01.09.1998 को स्वीकृत किया। उपखण्ड अधिकारी सोजत के निर्णय के विरूद्ध अपीलाण्ट द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जिसमें न्यायालय द्वारा दिनांक 11.09.1998 को अपीलाण्ट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सोजत का निर्णय दिनांक 01.09.1998 को अपास्त कर दिया तथा प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया, जो वर्तमान में उपखण्ड अधिकारी मारवाड जंक्शन के समक्ष विचाराधीन है। माननीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली द्वारा उपखण्ड अधिकारी सोजत के निर्णय को अपास्त किये जाने के कारण उक्त निर्णय की पालना में किये गये परिवर्तन भी स्वतः ही अपास्त हो जाते है, किन्तु तहसीलदार मारवाड जंक्शन द्वारा उक्त निर्णय की पालना में नामान्तरकरण दायर नही किया तथा भूमि वर्तमान में भी सिवायचक ही दर्ज है, जबकि मौके पर अपीलाण्ट का कब्जा काश्त है। अतः अपील स्वीकार करावे एवं न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.09.1998 के अनुक्रम में भूमि पुनः अपीलाण्ट के नाम दर्ज कराने का आदेश प्रदान करावे।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि तहसीलदार मारवाड जंक्शन द्वारा जैर अपील नामान्तरकरण उपखण्ड अधिकारी सोजत के आदेश की पालना में दायर किया गया है तथा सिलिंग प्रकरण वर्तमान में विचाराधीन है। जिसके चलते राजस्व रेकर्ड में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाना विधि सम्मत नही है। अतः अपीलाण्ट की अपील खारिज करावे।

अति. जिला कलक्टर, पाली

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलाण्ट द्वारा अपनी अपील को अन्दर म्याद शुमार करने हेतु परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना पत्र के समर्थन में वकील अपीलाण्ट के कथनों पर गौर किया गया। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर मनन करने के पश्चात अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 के तहत स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती है। जैर अपील आदेश से सम्बन्धित प्रकरण की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि ग्राम कंटालिया के खसरा नम्बर 996, 997, 1206, 1207, 1199, 1200, 1201,1202, 1203, 1204, 1205, 1209 व 1208 कुल खसरा 13 जिसका कुल रकबा 27.5945 हैक्टेयर की भूमि ठकरानी जी चुण्डावत जी गुजारेदार सा0 देह खातेदार दर्ज थी। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सोजत द्वारा सिलींग प्रकरण संख्या 28/1973 में पारित आदेश दिनांक 28.12.1976 एवं 29.07.1998 को निर्णय पारित करते हुए भूमि सिलींग में अधिग्रहरण करने के आदेश पारित किये। उक्त आदेश की पालना में जैर अपील नामान्तरकरण दायर किया गया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलाण्ट द्वारा इस न्यायालय में अपील दायर करवाई गई, जो अपील संख्या 121/98 एवं 122/98 आनन्द कंवर बनाम सरकार के नाम से दायर की गई, उक्त अपील में दिनांक 11.09.1998 को निर्णय पारित करते हुए उपखण्ड अधिकारी सोजत द्वारा पारित निर्णय को अपास्त कर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु उपखण्ड अधिकारी सोजत को रिमाण्ड किया है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि जिस आदेश की पालना में रेकर्ड में जो परिवर्तन किए गए हैं, उस आदेश को सक्षम न्यायालय द्वारा अपास्त किये जाने पर, उक्त आदेश के अनुक्रम में की गई समस्त कार्यवाही पूर्ववत स्थिति में बहाल हो जाती है। हस्तगत प्रकरण में जैर अपील नामान्तरकरण सिलिंग प्रकरण संख्या 28/73 सरकार बनाम आनन्द कंवर पत्नि अभयसिंह में पारित निर्णय दिनांक 29.07.1998 की पालना में दायर किया गया है। उक्त निर्णय को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 11.09.1998 को अपास्त किया जा चुका है। इस प्रकार कानूनन प्रकरण में नामान्तरकरण संख्या 1538 पर नायब तहसीलदार मारवाड जंक्शन द्वारा पारित स्वीकृति आदेश स्वतः अपास्त हो चुका है, किन्तु राजस्व रेकर्ड में उक्त नामान्तरकरण के सम्बन्ध में किसी प्रकार का रद्दोबदल नही किया गया है, जो कानूनन उचित नही है। दिनांक 11.09.1998 को पारित निर्णय के अनुक्रम में उक्त भूमि में दिनांक 01.09.1998 से पूर्व की स्थिति बहाल हो चुकी है। इस कारण जैर अपील नामान्तरकरण पर नायब तहसीलदार मारवाड जंक्शन द्वारा पारित स्वीकृति आदेश को अपास्त किया जाना न्यायोचित नही है।

परिणामस्वरूप अपीलाण्ट की अपील स्वीकार की जाती है तथा ग्राम कंटालिया के नामान्तरकरण संख्या 1538 पर नायब तहसीलदार मारवाड जंक्शन द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.09.1998 को अपास्त किया जाता है। इस निर्णय की प्रति के साथ अधिनस्थ न्यायालय को रेकर्ड लौटाया जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 18/12/2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली